

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 10]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 9 जनवरी 2014—पौष 19, शक 1935

पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 9 जनवरी 2014

क्र. एफ 4-5-2012-चौवन-1.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्द्वारा, पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण संचालनालय (चतुर्थ श्रेणी) सेवा में भरती से संबंधित निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

नियम

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण संचालनालय (चतुर्थ श्रेणी) सेवा भरती नियम, 2013 है.

(2) ये “मध्यप्रदेश राजपत्र” में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे.

2. **परिभाषाएं.**—इन नियमों में, जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) “नियुक्ति प्राधिकारी” से अभिप्रेत है, सेवा के संबंध में राज्य सरकार;

(ख) “परीक्षा” से अभिप्रेत है, सेवा में भरती के लिए ली जाने वाली प्रतियोगिता परीक्षा;

(ग) “सरकार” से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश सरकार;

(घ) “राज्यपाल” से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश के राज्यपाल;

(ङ) “अन्य पिछड़े वर्ग” से अभिप्रेत है, राज्य सरकार द्वारा, समय-समय पर, यथा संशोधित अधिसूचना क्र. एफ-8-5-पच्चीस-4-84, दिनांक 26 दिसम्बर 1984 द्वारा यथाविनिर्दिष्ट नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्ग;

- (च) “अनुसूची” से अभिप्रेत है, इन नियमों से संलग्न अनुसूची;
- (छ) “अनुसूचित जातियों” से अभिप्रेत है, कोई जाति, मूलवंश या जनजाति या किसी जाति, मूलवंश या जनजाति का भाग या उसमें का समूह जिसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 341 के अधीन मध्यप्रदेश राज्य के संबंध में अनुसूचित जाति के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया हो;
- (ज) “अनुसूचित जनजाति” से अभिप्रेत है, कोई जनजाति या जनजाति समुदाय अथवा ऐसी जनजाति या जनजाति समुदाय का भाग या उसमें का यूथ जिसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 342 के अधीन मध्यप्रदेश राज्य के संबंध में अनुसूचित जनजातियों के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया हो;
- (झ) “सेवा” से अभिप्रेत है, पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण संचालनालय (चतुर्थ श्रेणी) सेवा;
- (ञ) “राज्य” से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश राज्य.

3. **विस्तार तथा लागू होना.**—मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 में अन्तर्विष्ट उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ये नियम सेवा के प्रत्येक सदस्य को लागू होंगे.

4. **सेवा का गठन.**—सेवा निम्नलिखित व्यक्तियों से मिलकर गठित होगी, अर्थात् :—

- (1) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के प्रारंभ होने के समय अनुसूची—एक में विनिर्दिष्ट पद मूल रूप से या स्थानापन्न रूप से धारण कर रहे हों;
- (2) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के प्रारंभ होने के पूर्व, सेवा में भर्ती किए गए हों; और
- (3) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के उपबंधों के अनुसार सेवा में भर्ती किए गए हों.

5. **वर्गीकरण, वेतनमान आदि.**—(1) सेवा का वर्गीकरण, सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या तथा उनसे संलग्न वेतनमान अनुसूची—एक में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसार होंगे:

परन्तु सरकार, सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या में समय-समय पर, या तो स्थायी या अस्थायी आधार पर वृद्धि या कमी कर सकेगी.

(2) सेवा के सदस्य वित्त विभाग द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक एफ-11-1-2008-नियम-चार, दिनांक 24-1-2008 के उपबंधों के अधीन समयमान वेतन के हकदार होंगे.

6. **भर्ती का तरीका.**—(1) इन नियमों के प्रारंभ होने के पश्चात्, सेवा में भर्ती निम्नलिखित तरीकों से की जाएगी, अर्थात्:—

- (क) सीधी भर्ती द्वारा, प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा या चयन द्वारा;
- (ख) अनुसूची—चार के कालम (2) में यथाविनिर्दिष्ट सेवा के सदस्यों की पदोन्नति द्वारा;
- (ग) ऐसे व्यक्तियों के स्थानांतरण द्वारा, जो ऐसी सेवाओं में ऐसे पद, जो कि इस निमित्त सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं; मूल हैसियत में धारण करते हों.

(2) उपनियम (1) के खण्ड (ख) या खण्ड (ग) के अधीन भर्ती किए गए व्यक्तियों की संख्या, अनुसूची—एक में विनिर्दिष्ट पदों की संख्या के अनुसूची—दो में दर्शाये गये प्रतिशत से किसी भी समय अधिक नहीं होगी.

(3) इन नियमों के उपबंधों के अधधीन रहते हुए, सेवा में किसी विशेष रिक्ति या रिक्तियों को, जिन्हें भर्ती की किसी विशिष्ट कालावधि के दौरान भरा जाना अपेक्षित हो भरने के प्रयोजन के लिए अपनाया जाने वाला तरीका या तरीके तथा प्रत्येक तरीके द्वारा भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों की संख्या, प्रत्येक अवसर पर, व्यावसायिक परीक्षा मण्डल के परामर्श से सरकार द्वारा अवधारित की जाएगी.

(4) उपनियम (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, यदि नियुक्ति प्राधिकारी की राय में, सेवा की अत्यावश्यकताओं को देखते हुए, ऐसा करना अपेक्षित हो, तो वह सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग के अनुमोदन के पश्चात् उक्त नियम में, सेवा में भर्ती के लिए विनिर्दिष्ट तरीकों से भिन्न ऐसे अन्य तरीके अपना सकेगा, जैसे कि वह इस निमित्त जारी आदेश द्वारा विहित करे।

7. सेवा में नियुक्ति.—इन नियमों के प्रारंभ होने के पश्चात्, सेवा में समस्त नियुक्तियां, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा की जाएंगी और ऐसी कोई भी नियुक्ति नियम 6 में विनिर्दिष्ट भर्ती के तरीकों में से किसी एक तरीके द्वारा चयन के पश्चात् ही की जाएगी, अन्यथा नहीं।

8. सीधी भर्ती के लिए पात्रता की शर्तें.—किसी अभ्यर्थी को चयन के लिये पात्र होने हेतु निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी होंगी, अर्थात् :—

- (1) आयु :—(क) उसने चयन होने की तारीख की आगामी प्रथम जनवरी को अनुसूची-तीन के कालम (3) में यथाविनिर्दिष्ट आयु पूरी कर ली हो किन्तु उक्त अनुसूची के कॉलम (4) में विनिर्दिष्ट आयु पूरी न की हो;
- (ख) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए उच्चतर आयु-सीमा अधिकतम 5 वर्ष तक शिथिलनीय होगी;
- (ग) उन अभ्यर्थियों के संबंध में, जो मध्यप्रदेश सरकार के कर्मचारी हैं या रह चुके हैं, उच्चतर आयु सीमा, नीचे विनिर्दिष्ट सीमा तथा शर्तों के अध्वधीन रहते हुए शिथिलनीय होगी :—

(एक) कोई अभ्यर्थी, जो स्थायी सरकारी सेवक हो, 45 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए;

(दो) कोई अभ्यर्थी, जो अस्थायी रूप से कोई पद धारण कर रहा हो तथा किसी अन्य पद के लिए आवेदन कर रहा हो, 45 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए. यह रियायत, आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारियों, कार्यभारित कर्मचारियों तथा परियोजना कार्यान्वयन समितियों में कार्यरत कर्मचारियों को भी अनुज्ञेय होगी;

(तीन) कोई अभ्यर्थी, जो छंटनी किया गया सरकारी सेवक है, अपनी आयु में से उसके द्वारा पूर्व में की गई समस्त अस्थायी सेवा की अधिक से अधिक 7 वर्ष तक की कालावधि, भले ही वह कालावधि एक से अधिक बार की गई सेवाओं का योग हो, कम करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा, बशर्ते कि इसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले वह उच्चतर आयु-सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो।

स्पष्टीकरण.—शब्द “छंटनी किया गया सरकारी सेवक” से द्योतक है ऐसा व्यक्ति जो इस राज्य की या किसी भी संघटक इकाई की अस्थायी सरकारी सेवा में कम से कम छह मास तक निरन्तर रहा हो तथा जिसे रोजगार कार्यालय में अपना रजिस्ट्रीकरण कराने या शासकीय सेवा में नियुक्ति हेतु अन्यथा आवेदन करने की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व स्थापना में कमी किये जाने के कारण सेवोन्मुक्त किया गया हो।

(चार) किसी ऐसे अभ्यर्थी को, जो भूतपूर्व सैनिक है, अपनी आयु में से उसके द्वारा पूर्व में की गई समस्त प्रतिरक्षा सेवा की कालावधि कम करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा, बशर्ते इसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले वह उच्चतर आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो।

स्पष्टीकरण.—शब्द “भूतपूर्व सैनिक” से द्योतक है, ऐसा व्यक्ति, जो निम्नलिखित प्रवर्गों में से किसी एक प्रवर्ग का हो और जो भारत सरकार के अधीन कम से कम छः मास की कालावधि तक निरन्तर नियोजित रहा है और जिसकी किसी भी रोजगार कार्यालय में अपना रजिस्ट्रीकरण कराने, या सरकारी सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा, आवेदन करने की तारीख से, अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व, मितव्ययिता इकाई की सिफारिश के फलस्वरूप या स्थापना में सामान्य रूप से कमी किए जाने के कारण छंटनी की गई हो या जो अतिशेष घोषित किया गया हो—

- (1) ऐसा भूतपूर्व सैनिक जिसे समय पूर्व सेवानिवृत्त (मस्टरिंग आउट कन्सेशन) रियायतों के अधीन निर्मुक्त कर दिया गया हो।

- (2) ऐसा भूतपूर्व सैनिक, जिसे दूसरी बार नामांकित किया गया हो, और जिसे
- (क) अल्पकालीन वचनबंध पूर्ण हो जाने पर,
- (ख) नामांकन संबंधी शर्तें पूर्ण हो जाने पर,
- सेवोन्मुक्त कर दिया गया हो.
- (3) मद्रास सिविल यूनिट के भूतपूर्व कार्मिक.
- (4) संविदा पूरी होने पर सेवोन्मुक्त किये गये ऐसे अधिकारी (सैनिक तथा असैनिक) जिसमें अल्पावधि सेवा में नियमित कमीशन प्राप्त अधिकारी भी सम्मिलित हैं.
- (5) ऐसे अधिकारी/ कर्मचारी जिन्हें अवकाश रिक्तियों पर निरन्तर छह मास से अधिक समय तक कार्य करने के पश्चात् सेवोन्मुक्त कर दिया गया हो.
- (6) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें अशक्त होने के कारण सेवा से अलग किया गया है.
- (7) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें इस आधार पर सेवोन्मुक्त किया गया है कि अब वे दक्ष सैनिक बनने योग्य नहीं हैं.
- (8) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें गोली लग जाने तथा घाव आदि हो जाने के कारण सेवा से अलग कर दिया गया हो.
- (ड) विधवा, निराश्रित व तलाकशुदा महिला अभ्यर्थियों के संबंध में सामान्य उच्चतर आयु सीमा 5 वर्ष तक शिथिलनीय होगी : परन्तु महिला अभ्यर्थियों की सीधी भरती के संबंध में उच्चतर आयु सीमा 45 वर्ष होगी.
- (च) परिवार कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्रीनकार्ड धारक अभ्यर्थियों के संबंध में सामान्य उच्चतर आयु सीमा 2 वर्ष तक शिथिलनीय होगी.
- (छ) आदिम जाति, अनुसूचित जाति तथा पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन कार्यक्रम के अधीन पुरस्कृत दम्पतियों के उच्च जाति के सवर्ण पति/पत्नि के संबंध में उच्चतर आयु सीमा 5 वर्ष तक शिथिलनीय होगी;
- (ज) "विक्रम पुरस्कार " धारी अभ्यर्थियों के संबंध में सामान्य उच्चतर आयु-सीमा पांच वर्ष तक शिथिलनीय होगी.
- (झ) उन अभ्यर्थियों के संबंध में, जो मध्यप्रदेश राज्य निगम/मण्डलों के कर्मचारी हैं, उच्चतर आयु अधिकतम 45 वर्ष तक शिथिलनीय होगी.
- (ञ) स्वयंसेवी नगर सैनिकों तथा नान कमीशन्ड अधिकारियों के संबंध में उनके द्वारा इस प्रकार की गई नगर सेना सेवा की कालावधि की उच्चतर आयु अधिकतम 3 वर्ष तक के अध्यक्षीन रहते हुए शिथिलनीय होगी, किन्तु किसी भी दशा में उनकी आयु 45 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए.

टिप्पणी—(1) ऐसे अभ्यर्थी, जो उपर्युक्त खण्ड (ग) के उपखण्ड (एक) तथा (दो) में उल्लिखित आयु संबंधी रियायतों के अन्तर्गत चयन हेतु पात्र पाए जाते हैं, नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे, यदि आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात् या तो वे चयन के पूर्व या उसके पश्चात् सेवा से त्याग-पत्र दे देते हैं तथापि, यदि आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात् उनकी सेवा या पद से छंटनी की गई हो तो वे नियुक्ति के पात्र बने रहेंगे, किसी भी अन्य मामले में ये आयु सीमाएं शिथिलनीय नहीं होंगी.

टिप्पणी—(2) सभी प्रकार की छूट को सम्मिलित करते हुए किसी भी प्रवर्ग के लिए अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी, अधिकतम आयु सीमा की गणना सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक सी-3-11/12/1/3, दिनांक 03 नवम्बर 2012 एवं 20 नवम्बर 2012 के अनुसार की जाएगी.

टिप्पणी—(3) विभागीय अभ्यर्थियों को चयन में प्रवेश के लिए नियुक्ति प्राधिकारी की पूर्व अनुज्ञा अभिप्राप्त करनी होगी।

(2) **शैक्षणिक अर्हता.**—अभ्यर्थी के पास सेवा के लिए ऐसी शैक्षणिक अर्हताएं होना चाहिए जो अनुसूची—तीन में विनिर्दिष्ट की गई हैं, परन्तु आपवादिक मामलों में सरकार की सिफारिश पर नियुक्ति प्राधिकारी किसी ऐसे अभ्यर्थी को अर्ह मान सकेगा जिसके पास यद्यपि इस खण्ड में विहित अर्हताओं में से कोई अर्हता नहीं हो, किन्तु जिसने अन्य संस्थाओं द्वारा संचालित परीक्षाएं ऐसे स्तर से उत्तीर्ण की हों जो सरकार की राय में अभ्यर्थी को परीक्षा में सम्मिलित होने अथवा चयन के लिए विचार किए जाने को न्यायोचित ठहराती हो।

(3) **फीस:**—अभ्यर्थी को विभाग द्वारा विहित की गई फीस का संदाय करना होगा।

9. **निरर्हता.**—(1) अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिए सहायता प्राप्त करने हेतु किसी भी साधन से किया गया कोई भी प्रयास नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा, उनके परीक्षा/चयन में बैठने के संबंध में, निरर्हता के रूप में माना जाएगा।

(2) कोई भी अभ्यर्थी जिसने विवाह के लिए नियत की गई न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो, किसी भी सेवा में नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

(3) कोई भी अभ्यर्थी जिसकी दो से अधिक जीवित संतान हों, जिनमें से एक का जन्म 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात् हुआ हो, किसी सेवा या पद के लिए पात्र नहीं होगा :

परन्तु कोई भी ऐसा अभ्यर्थी, जिसकी पहले से ही एक जीवित संतान हो, तथा आगामी प्रसव 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात् हुआ हो जिसमें दो या दो से अधिक जीवित संतान का जन्म होता है, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए निरर्हित नहीं होगा।

(4) कोई भी अभ्यर्थी, जिसे महिलाओं के विरुद्ध किसी अपराध का सिद्धदोष ठहराया गया हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा :

परन्तु जहां किसी न्यायालय में अभ्यर्थी के विरुद्ध ऐसा कोई मामला लंबित है, वहां उसकी नियुक्ति का मामला आपराधिक प्रकरण में अन्तिम विनिश्चय होने तक लंबित रखा जाएगा।

10. **अभ्यर्थियों की पात्रता के संबंध में नियुक्ति प्राधिकारी का विनिश्चय अंतिम होगा.**—परीक्षा में प्रवेश देने के लिए किसी अभ्यर्थी की पात्रता के बारे में नियुक्ति प्राधिकारी का विनिश्चय अंतिम होगा और किसी भी ऐसे अभ्यर्थी को, जिसे नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा प्रवेश प्रमाण-पत्र जारी नहीं किया गया हो, परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाएगा।

11. **प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा सीधी भरती.**—(1) सीधी भरती के लिए एक प्रतियोगिता परीक्षा ऐसे अन्तरालों पर जैसे कि नियुक्ति प्राधिकारी समय-समय पर नियुक्ति प्राधिकारी के परामर्श से अवधारित करे।

(2) नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा ऐसे आदेशों के अनुसार परीक्षा आयोजित की जाएगी जो कि राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर इस निमित्त जारी किए जाएं।

(3) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों के व्यक्तियों के लिए सीधी भरती के प्रक्रम पर मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्रमांक 21, सन् 1994) में अन्तर्विष्ट उपबंधों और राज्य सरकार द्वारा, समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार 16 प्रतिशत, 20 प्रतिशत और 14 प्रतिशत पद आरक्षित रहेंगे।

(4) मध्यप्रदेश सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति के लिए विशेष उपबंध) नियम, 1997 के उपबंधों के अनुसार महिला अभ्यर्थियों के लिये 30 प्रतिशत पद आरक्षित रहेंगे और ऐसा आरक्षण हारिजेन्टल तथा कम्पार्टमेंटवाइज होगा।

(5) निःशक्त अभ्यर्थियों और ऐसे अन्य वर्गों के व्यक्तियों के लिए पद आरक्षित रहेंगे जो कि राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित किए जाएं, आरक्षण हॉरिजेंटल तथा कम्पार्टमेंटवाइज होगा।

स्पष्टीकरण.—उपनियम (4) और (5) के प्रयोजन के लिए “हॉरिजेंटल तथा कम्पार्टमेंटवाइज आरक्षण” से अभिप्रेत है प्रत्येक प्रवर्ग अर्थात् अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग तथा अनारक्षित प्रवर्गों में आरक्षण।

(6) भूतपूर्व सैनिकों के लिए तृतीय श्रेणी के पदों पर सीधी भरती में 10 प्रतिशत तथा चतुर्थ श्रेणी में सीधी भरती के लिए 20 प्रतिशत हॉरिजेंटल तथा कम्पार्टमेंटवाइज आरक्षण होगा।

(7) सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देशों के अनुसार अस्थिबाधित के लिए 2 प्रतिशत, दृष्टिबाधित के लिए 2 प्रतिशत और श्रवणबाधित के लिए दो प्रतिशत हॉरिजेंटल तथा कम्पार्टमेंटवाइज आरक्षण होगा।

(8) इस प्रकार आरक्षित पदों को भरने में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों के नामों पर नियुक्ति के लिए उसी क्रम में विचार किया जायेगा, जिस क्रम में उनके नाम नियम 12 में निर्दिष्ट सूची में आये हों, भले ही अन्य अभ्यर्थियों की तुलना में उनका सापेक्षिक रैंक कुछ भी हो।

(9) नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों के ऐसे अभ्यर्थियों को, जो सेवा में नियुक्ति के लिए उपयुक्त पाए जाएं, प्रशासन में दक्षता बनाए रखने का सम्यक् ध्यान रखते हुए, यथास्थिति अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षित रिक्तियों पर नियुक्त किया जा सकेगा।

(10) यदि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए पर्याप्त संख्या में अभ्यर्थी उपलब्ध न हों तो शेष रिक्तियां सरकार की पूर्व अनुमति के बिना अन्य प्रवर्गों से नहीं भरी जाएंगी और ये रिक्तियां अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए अगले चयन के लिए आरक्षित रखी जाएंगी।

(11) ऐसे मामलों में, जहां कि सीधी भरती द्वारा भरे जाने वाले पदों के लिए किसी अवधि का अनुभव अनिवार्य शर्त के रूप में विहित किया हो और नियुक्ति प्राधिकारी की यह राय हो कि इस बात की संभावना है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों के अभ्यर्थी पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं हो सकते हैं तो नियुक्ति प्राधिकारी सामान्य प्रशासन विभाग से परामर्श करने के पश्चात् अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों के अभ्यर्थियों के लिए अनुभव की शर्त को शिथिल कर सकेगा।

12. चयन समिति द्वारा सिफारिश किए गए अभ्यर्थियों की सूची.—(1) चयन समिति, ऐसे अभ्यर्थियों की गुणागुण के आधार पर सूची, जिन्होंने ऐसे मानकों से अर्हता प्राप्त की हो जो कि चयन समिति द्वारा अवधारित किए गए हों तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्ग के ऐसे अभ्यर्थियों की एक सूची, जिन्होंने यद्यपि उन मानकों से अर्हता प्राप्त न की हो, किंतु जिन्हें प्रशासन में दक्षता बनाए रखने का सम्यक् ध्यान रखते हुए, चयन समिति द्वारा सेवा में नियुक्ति के लिए उपयुक्त घोषित किया गया है, तैयार करेगी. सूची आम जानकारी के लिए भी प्रकाशित की जाएगी.

(2) इन नियमों तथा मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, चयनित अभ्यर्थियों का उपलब्ध रिक्तियों पर नियुक्ति के लिए उसी क्रम में विचार किया जाएगा, जिस क्रम में उनके नाम चयन सूची में आए हों।

(3) सूची में किसी अभ्यर्थी का नाम सम्मिलित हो जाने से उसे नियुक्ति के लिए तब तक कोई अधिकार प्राप्त नहीं हो जाता जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी का, ऐसी जांच करने के पश्चात्, जैसी कि आवश्यक समझी जाए, यह समाधान नहीं हो जाता है कि अभ्यर्थी सेवा में नियुक्ति के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त है।

(4) सूची, उसके जारी किए जाने की तारीख से एक वर्ष की कालावधि तक वैध रहेगी।

13. **पदोन्नति द्वारा नियुक्ति.**—(1) पात्र अभ्यर्थियों की पदोन्नति के लिए प्रारंभिक चयन करने के लिए अनुसूची-चार में समाविष्ट सदस्यों से मिलकर एक समिति गठित की जाएगी :

परंतु पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पद के संबंध में विभागीय पदोन्नति समिति की अध्यक्षता करने वाले सदस्य से भिन्न नामनिर्दिष्ट सदस्य अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, तो अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति प्रवर्ग से उसी हैसियत का एक सदस्य पदोन्नति समिति में सम्मिलित किया जाएगा और पदोन्नत समिति के सदस्यों की संख्या उस सीमा तक बढ़ा दी जाएगी.

(2) समिति की बैठक सामान्यतः एक वर्ष से अनधिक ऐसे अंतरालों से होगी जैसा कि वह उचित समझे.

(3) पदोन्नति में आरक्षण और विचारण के क्षेत्र की सीमा मध्यप्रदेश (लोकसेवा पदोन्नति में आरक्षण और विचारण के क्षेत्र की सीमा) नियम, 1997 के उपबंधों और सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार होगी.

14. **पदोन्नति के लिये पात्रता की शर्तें.**—(1) उपनियम (2) के उपबंधों के अध्यक्षीन रहते हुए, समिति, उन सभी व्यक्तियों के मामलों पर विचार करेगी जिन्होंने उस वर्ष की 1 जनवरी को, उस पद पर, जिससे की पदोन्नति की जाना है, उतने वर्षों की सेवा (चाहे स्थानापन्न या मूल रूप से) या राज्य सरकार द्वारा अनुसूची-चार के कॉलम (3) में यथाविनिर्दिष्ट उनके समतुल्य घोषित पद या पदों पर पूर्ण कर ली हो और जो उपनियम (2) के अनुसार विचारण क्षेत्र में आते हों :

परन्तु इमरजेंसी कमीशन तथा अल्पावधि सेवा कमीशन से निर्मुक्त अधिकारियों की, सेवा की गणना सेवा में उनकी नियुक्ति के पश्चात् सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक 2266/1967/1/3/67, दिनांक 21 अक्टूबर 1967 के अनुसार उस तारीख से की जाएगी, जिस तारीख से कि उन्हें सेवा में नियुक्त माना गया हो :

परन्तु यह और कि किसी कनिष्ठ व्यक्ति को चयन के लिए विचार करने हेतु केवल इस आधार पर उससे वरिष्ठ व्यक्तियों पर अधिमान नहीं दिया जाएगा कि उसने सेवा की विहित कालावधि पूर्ण कर ली है.

15. **उपयुक्त व्यक्तियों की सूची का तैयार किया जाना.**—(1) विभागीय पदोन्नति समिति ऐसे व्यक्तियों की एक सूची तैयार करेगी, जो नियम, 14 में विहित शर्तों को पूरा करते हों और जिन्हें समिति द्वारा मध्यप्रदेश लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2002 के उपबंधों के अनुसार सेवा में पदोन्नति के लिए उपयुक्त समझा गया हो. यह सूची, चयन सूची तैयार किए जाने की तारीख से 1 वर्ष के दौरान सेवानिवृत्ति/पदोन्नति के कारण होने वाली प्रत्याशित रिक्तियों को भरने के लिये पर्याप्त होगी. उक्त सूची में सम्मिलित किए गए व्यक्तियों की संख्या के 25 प्रतिशत व्यक्तियों की एक आरक्षित सूची पूर्वोक्त कालावधि के दौरान होने वाली अनवेक्षित रिक्तियों को भरने के लिए तैयार की जायेगी.

(2) ऐसी सूची में नाम सम्मिलित करने के लिए किया जाने वाला चयन वरिष्ठता का सम्यक् ध्यान रखते हुए योग्यता तथा सभी दृष्टि से उपयुक्तता पर आधारित होगा.

(3) ऐसी सूची को तैयार करते समय सूची में सम्मिलित किए गए व्यक्तियों के नाम अनुसूची चार के कॉलम (2) में यथाविनिर्दिष्ट सेवा या पदों पर ज्येष्ठता के क्रम में रखे जाएंगे.

स्पष्टीकरण.—कोई व्यक्ति, जिसका नाम चयन सूची में सम्मिलित किया गया हो, किन्तु जो सूची की विधिमान्यता के दौरान पदोन्नत न हुआ हो, केवल उसके पूर्ववर्ती चयन के तथ्य से ही उन व्यक्तियों के ऊपर जिन पर कि पश्चात्पूर्वी चयन में विचार किया गया है, वरिष्ठता का कोई दावा नहीं करेगा.

(4) इस प्रकार तैयार की गई सूची प्रतिवर्ष पुनर्विलोकित तथा पुनरीक्षित की जाएगी.

(5) यथास्थिति चयन, पुनर्विलोकन या पुनरीक्षण प्रक्रिया के दौरान यदि सेवा के किसी सदस्य को अधिक्रमित किया जाना प्रस्तावित है तो समिति, प्रस्तावित अधिक्रमण के लिए अपने कारण अभिलिखित करेगी.

16. **प्रतीक्षा सूची.**—(1) नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा अंतिम रूप से अनुमोदित की गई सूची, अनुसूची-चार के कॉलम (2) में वर्णित पदों से, उक्त अनुसूची के कॉलम (3) में वर्णित पदों पर सेवा के सदस्यों की पदोन्नति के लिए चयन सूची होगी.

(2) चयन सूची, सामान्यतः एक वर्ष की कालावधि तक के लिए, जब तक कि उसका नियम, 15 के उपनियम (4) के अनुसार पुनर्विलोकन या पुनरीक्षण नहीं कर लिया जाता, प्रवृत्त रहेगी, किन्तु उसकी विधिमान्यता उसे तैयार किये जाने की तारीख से 18 मास की कुल कालावधि से परे नहीं बढ़ाई जाएगी :

परन्तु चयन सूची में सम्मिलित किसी व्यक्ति की ओर से आचरण या कर्तव्यों के निर्वहन में गंभीर चूक होने की दशा में, नियुक्ति प्राधिकारी की प्रेरणा पर चयन सूची का विशेष रूप से पुनर्विलोकन किया जा सकेगा और समिति, यदि वह उचित समझे, ऐसे व्यक्ति का नाम चयन सूची से हटा सकेगी.

17. (1) चयन सूची में सम्मिलित व्यक्तियों की सेवा के संवर्ग पदों पर नियुक्ति उसी क्रम में की जाएगी जिसमें कि ऐसे अभ्यर्थी के नाम चयन सूची में आए हों.

(2) किसी ऐसे व्यक्ति की, जिसका नाम चयन सूची में सम्मिलित हो, सेवा में नियुक्ति के पूर्व उक्त समिति से परामर्श करना तब तक आवश्यक नहीं होगा जब तक कि चयन सूची में उसका नाम सम्मिलित किए जाने और प्रस्तावित नियुक्ति की तारीख के बीच की कालावधि के दौरान उसके कार्य में ऐसी कोई भी गिरावट न आ गई हो, जो नियुक्ति प्राधिकारी की राय में ऐसी हो जो पंचायत राज संचालनालय सेवा में नियुक्ति के लिए उसे अनुपयुक्त ठहराती हो.

18. **परिवीक्षा.**—सेवा में सीधी भर्ती किए गए प्रत्येक व्यक्ति को दो वर्ष की कालावधि के लिए परिवीक्षा पर नियुक्त किया जाएगा.

19. **निर्वचन.**—यदि इन नियमों के निर्वचन के संबंध में कोई प्रश्न उद्भूत होता है तो वह सरकार को निर्दिष्ट किया जाएगा, जिसका उस पर विनिश्चय अंतिम होगा.

20. **शिथिलीकरण.**—इन नियमों में की किसी भी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि वह ऐसे किसी व्यक्ति के मामले में, जिसे यह नियम लागू होते हैं, राज्यपाल की ऐसी रीति में, जो उसे न्यायसंगत तथा साम्यापूर्ण प्रतीत होती हो, कार्रवाई करने की शक्ति को सीमित या कम करती है:

परन्तु कोई मामला ऐसी रीति से नहीं निपटाया जाएगा जो इन नियमों में उपबंधित रीति की अपेक्षा उसके लिए कम अनुकूल हो.

21. **व्यावृत्ति.**—इन नियमों में की कोई भी बात अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्ग के लिए राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार उपबंध किए जाने हेतु अपेक्षित आरक्षण, शिथिलीकरण तथा अन्य शर्तों को प्रभावित नहीं करेगी.

22. **निरसन.**—इन नियमों के तत्स्थानी और उनके प्रारंभ होने के ठीक पूर्व प्रवृत्त सभी नियम इन नियमों के अन्तर्गत आने वाले विषयों के संबंध में एतद्वारा निरसित किए जाते हैं :

परन्तु इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन किये गये किसी आदेश या की गई किसी कार्रवाई के संबंध में यह समझा जाएगा कि वह इन नियमों के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन किया गया आदेश या की गई कार्रवाई है.

अनुसूची-एक

(नियम 5 देखिए)

सेवा का वर्गीकरण, वेतनमान और सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या

अनु- क्रमांक (1)	सेवा में सम्मिलित पदों के नाम (2)	पदों की संख्या (3)	वर्गीकरण (4)	वेतनमान+ग्रेड वेतन (5)	अभ्युक्तियां (6)
मुख्यालय/राज्य स्तरीय पद					
1	दफ्तरी	2	चतुर्थ श्रेणी	4440-7440+1300	-
2	भृत्य एवं फर्राश	21	-तदैव-	4440-7440+1300	-
3	आदेशिका वाहक	1	-तदैव-	4440-7440+1300	-
4	चौकीदार-सह-फर्राश	1	-तदैव-	4440-7440+1300	-
जिला स्तरीय पद					
1	भृत्य	50	चतुर्थ श्रेणी	4440-7440+1300	-

अनुसूची-दो

(नियम 6 देखिए)

भर्ती का तरीका

अनु- क्रमांक (1)	सेवा में सम्मिलित पदों के नाम (2)	पदों की कुल संख्या (3)	भरे जाने वाले कर्तव्य पदों की संख्या की प्रतिशतता सीधी भर्ती सेवा के सदस्यों अन्य सेवाओं द्वारा की पदोन्नति द्वारा के व्यक्तियों स्थानांतरण द्वारा			अभ्युक्तियां (7)
			(4)	(5)	(6)	
मुख्यालय/राज्य स्तरीय पद						
1	दफ्तरी	2	-	100%	-	भृत्य/फर्राश/आदेशिका वाहक/चौकीदार की संयुक्त पदक्रम सूची से पदोन्नति द्वारा.
2	भृत्य एवं फर्राश	21	100%	-	-	-
3	आदेशिका वाहक	1	100%	-	-	-
4	चौकीदार-सह-फर्राश	1	100%	-	-	-
जिला स्तरीय पद						
1	भृत्य	50	100%	-	-	-

अनुसूची-तीन
(नियम 8 देखिए)

अनु- क्रमांक	पद का नाम	न्यूनतम आयु सीमा	अधिकतम आयु सीमा	विहित शैक्षणिक अर्हताएं	अभ्युक्तियां	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
1	भृत्य/चौकीदार एवं फर्राश.	18 वर्ष	40 वर्ष	आठवीं परीक्षा उत्तीर्ण.	माध्यमिक शिक्षा मण्डल मध्यप्रदेश से आठवीं कक्षा	-
2	आदेशिका वाहक	18 वर्ष	40 वर्ष	आठवीं परीक्षा उत्तीर्ण.	उत्तीर्ण होना अनिवार्य	-

अनुसूची-तीन
(नियम 13 देखिए)

पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पद

अनु- क्रमांक	उस पद का नाम जिससे पदोन्नति की जानी है	उस पद का नाम जिस पर पदोन्नति की जानी है	अर्हताकारी सेवा की न्यूनतम अवधि	विभागीय पदोन्नति समिति के सदस्य	अभ्युक्तियां
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	भृत्य/चौकीदार-सह-फर्राश	दफ्तरी	5 वर्ष	(1) संचालक, राज्य स्तरीय रोजगार एवं प्रशिक्षण केन्द्र—अध्यक्ष. (2) सचिव, पिछड़ा वर्ग आयोग—सदस्य (3) उप संचालक, आयुक्त कार्यालय —सदस्य सचिव (4) अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति का एक नामनिर्दिष्ट सदस्य—सदस्य.	
2	दफ्तरी/भृत्य/चौकीदार- सह-फर्राश (सहायक ग्रेड-3 के लिए अपेक्षित न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता के साथ संयुक्त पदक्रम सूची के आधार पर).	सहायक ग्रेड-3	5 वर्ष	—तदैव—	

No. F-4-5-2012-LIV-1.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh, hereby, makes the following rules relating to the recruitment to Backward Classes and Minority Welfare Sanchalnalaya (Class IV) Service, namely:—

RULES

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Madhya Pradesh Backward Classes and Minority Welfare Sanchalnalaya (Class IV) Service Recruitment Rules, 2013.

(2) They shall come into force with effect from the date of their publication in the Madhya Pradesh Gazette.

2. **Definitions.**—In these rules unless the context otherwise requires,—

(a) “Appointing Authority” in respect of the service means the State Government;

(b) “Examination” means Competitive examination to be conducted for recruitment to the service;

(c) “Government” means the Government of Madhya Pradesh;

(d) “Governor” means Governor of Madhya Pradesh;

(e) “Other Backward Classes” means Other Backward Classes of citizen as specified by the State Government vide Notification No. F-8-5/XXV-4-84 dated the 26th December, 1984 as amended from time to time;

(f) “Schedule” means Schedule appended to these rules;

(g) “Scheduled Castes” means any caste, race or tribe or part of or group within a caste, race or tribe specified as such in relation to the State of Madhya Pradesh under Article 341 of the Constitution of India;

(h) “Scheduled Tribes” means any tribe or tribal community or part of or group within a tribe or tribal community specified as such in relation to the State of Madhya Pradesh under Article 342 of the Constitution of India;

(i) “Service” means Backward Classes and Minority Welfare Directorate (Class IV) Service;

(j) “State” means the State of Madhya Pradesh.

3. **Scope and application.**—Without prejudice to the generality of the provisions contained in the Madhya Pradesh Civil Service (General conditions of Service) Rules 1961, these rules shall apply to every member of the Service.

4. **Constitution of Service.**—The Service shall consist of the following persons, namely;—

(1) persons who at the time of commencement of these rules are holding any post substantively or officiating capacity specified in Schedule-I;

(2) persons recruited to the service before the commencement of these rules; and

(3) persons recruited to the service in accordance with the provisions of these rules.

5. **Classification, Scale of Pay etc.**—(1) The classification of the Service, the number of posts included in the service and the scale of pay attached thereto shall be in accordance with the provisions contained in Schedule-I:

Provided that the Government may, from time to time, add or reduce the number of posts included in the service, either on a permanent or temporary basis.

(2) Members of the service shall be entitled to Time-Scale of Pay under the provisions of the circular No. F-11-1-2008-rule-iv dated 24-1-2008 issued by the finance Department.

6. Method of Recruitment.—(1) Recruitment to the service after commencement of these rules, shall be made by the following methods, namely:—

- (a) by direct recruitment, by competitive examination or by selection;
- (b) by promotion of the members of service as specified in column (2) of Schedule-IV;
- (c) by transfer of persons who hold in a substantive capacity such posts in such services as specified in this behalf by the Government.

(2) The number of persons recruited under clause (b) or clause (c) of sub-rule (1) shall not at any time, exceed the percentage as specified in Schedule-II of the number of posts as specified in Schedule-I.

(3) Subject to the provisions of these rules, the method or methods of recruitment to be adopted for the purpose of filling any particular vacancy or vacancies in the service as may be required to be filled during any particular period of recruitment and the number of persons to be recruited by each method, shall be determined on each occasion by the Government in Consultation with the Professional Examination Board.

(4) Notwithstanding anything Contained in sub-rule (1), if in the opinion of the Appointing Authority the exigencies of the service so require, he may after approval of the Government in the General Administration Department adopt such methods of recruitment to the service other than those specified in the said rule, as it may, by order issued in this behalf, prescribe.

7. Appointment to the Service.—All appointments to the service after commencement of these rules shall be made by the Appointing Authority and no such appointment shall be made except after selection by one of the methods of recruitment specified in rule-6.

8. Conditions of eligibility for direct recruitment.—In order to be eligible for selection, a candidate must satisfy the following conditions, namely:—

- (1) **Age.**—(a) He must have attained the age specified in column (3) of Schedule-III and not attained the age specified in column (4) of the said Schedule on the first day of January next following the date of commencement of the selection;
- (b) The upper age limit shall be relaxable upto a maximum of 5 years if a candidate belongs to a Scheduled Castes or Scheduled Tribes and Other Backward Classes;
- (c) The upper age limit shall also be relaxable in respect of candidates who are or have been employees of the Madhya Pradesh Government to the extent and subject to the conditions specified below:—
 - (i) A candidate who is a permanent Government Servant, should not be more than 45 years of age;
 - (ii) A candidate holding a post temporarily and applying for another post should not be more than 45 years of age. This concession shall also be admissible to the contingency paid employees, work charged employees and employees working in the Project Implementing Committees;
 - (iii) A candidate, who is a retrenched Government servant shall be allowed to deduct from his age the period of all temporary service previously rendered by him upto a maximum limit of 7 years even if it represents more than one spell provided that the resultant age does not exceed the upper age limit by more than five years.

Explanation.—The term “retrenched Government Servant” denotes a person who was in temporary Government service of this State or of any of the constituent units for a continuous period of not less than six months and who are discharged because of reduction in establishment not more than three years prior to the date of his registration at the employment exchange or of application made otherwise for employment in Government Service.

- (iv) A candidate who is an ex-serviceman shall be allowed to deduct from his age the period of all defence service previously rendered by him, provided that the resultant age does not exceed the upper age limit by more than three years.

Explanations.—The term “Ex-serviceman” denotes a person who belongs to any of the following categories and who was employed under the Government of India for a continuous period of not less than six months and who was retrenched or declared surplus as a result of the recommendation for the economy unit or due to normal reduction in establishment not more than three years before the date of his registration at any employment exchange or application made otherwise for employment in Government Service:—

- (1) Ex-serviceman released under mustering out concessions;
 - (2) Ex-serviceman enrolled for the second time and discharged on—
 - (a) Completion of short term engagement,
 - (b) Fulfilling the conditions of enrolment;
 - (3) Ex-personal of Madras Civil Units;
 - (4) Officers (Military and Civil) discharged on completion of their contract including short service regular commissioned officers;
 - (5) Officers discharged after working for more than six months continuously against leave vacancies;
 - (6) Ex-serviceman invalidated out of service;
 - (7) Ex-serviceman discharged on the ground that they are unlikely to become efficient soldiers;
 - (8) Ex-serviceman who are medically bearded out on account of gun shot, wounds etc.
- (d) The upper age limit shall be relaxable upto a maximum of ten years to a women candidates in accordance with the provisions of rule 4 of the Madhya Pradesh Civil Services (Special Provisions for Appointment of Women) Rules, 1997.
- (e) The upper age limits, shall be relaxable up to a maximum five years in respect of widow, destitute or divorced women candidates:

Provided that the upper age limit shall be 45 years in respect of direct recruitment of women candidate.

- (f) The upper age limit shall be relaxable upto 2 years in respect of Green-Card holder candidates under the Family Welfare Programme.
- (g) The general upper age limit shall be relaxable upto five years in respect of awarded superior caste partner of a couple under the Inter-caste marriage incentive programme.
- (h) The upper age limit shall be relaxed upto five years in respect of the “Vikram Award” holder candidates.

- (i) The upper age limit shall be relaxable upto a maximum of 45 years of age in respect of candidates who are employees of Madhya Pradesh State/Corporations/Board.
- (j) The upper age limit shall be relaxed in the case of Voluntary Home Guards and Non-Commissioned Officers of Home Guards for the period of service rendered so by them subject to the limit of 5 years but in no case their age should exceed 45 years.

Note.—(1) Candidates, who are found eligible for selection, under the age concession mentioned in sub-clause (i) and (ii) of clause (c) above shall not be eligible for appointment, if after submitting the application they resign from service either before or after the selection. They will however, continue to be eligible if they are retrenched from the service or post after submitting the applications. In no other case these age limits be relaxed.

Note.—(2) The total relaxed period for every category shall be such which shall not exceed the upper age limit of 45 years. The maximum age limit shall be calculated in accordance with the General Administration Department circular No. C-3-11-12-1-3, dated the 03-11-2012 and 20-11-2012.

Note.—(3) Departmental candidates must obtain previous permission of their Appointing Authority to appear for the selection.

(2) **Educational qualification.**—The Candidate must possess the educational qualifications prescribed for the service as specified in Schedule-III provided that in exceptional cases the Appointing Authority may on the recommendation of the Government treat as qualified any candidate who though not possessing any of the qualifications prescribed in this clause has passed examination conducted by other institutions by such a standard for which in the opinion of the Government justifies the consideration of the candidate for appearing in the examination or selection.

(3) **Fees.**—The Candidate must pay the fees prescribed by the department.

9. **Disqualification.**—(1) Any attempt on the part of candidate of obtain support for his candidature by any means may be held by the Appointing Authority to disqualify him for appearing in the examination/selection.

(2) No candidate shall be eligible for appointment to a service or post, who has married before the minimum age fixed for marriage.

(3) A candidate shall not be eligible for any service of post if he has more than two living children one of whom is born on or after 26th January, 2001:

Provided that no candidate shall be disqualified for appointment to a service or post who has already one living child and next delivery takes place on or after 26th January, 2001 in which two or more than two children are born.

(4) No candidate shall be eligible for the appointment to any service or post who has been convicted for an offence against the women:

Provided that where such case are pending in a court against candidate then his case of appointment shall be kept pending till the final decision of the case.

10. **Appointing Authority decision about the eligibility of candidates shall be final.**—The decision of the Appointing Authority as to the eligibility of a candidate for admission to the examination shall be final and no candidate to whom a certificate of admission has not been issued by the Appointing Authority shall be allowed to appear in the examination.

11. **Direct Recruitment by competitive examination.**—(1) A competitive examination for recruitment shall be held at such intervals as the Appointing Authority may, in consultation with the Appointing Authority from time to time, determine.

(2) The examination shall be conducted by the Appointing Authority in accordance with such orders issued by the State Government from time to time in this behalf.

(3) There shall be 16 % and 20 % reserved posts for the persons belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and 14% for Other Backward Classes at the stage of the direct recruitment in accordance with the provisions contained in the Madhya Pradesh Lok Seva (Anusuchit Jatiyon, Anusuchit Jan Jatiyon Aur Anya Pichhda Vargon Ke Liye Arakshan) Adhiniyam, 1994 (No. 21 of 1994) and order issued by the State Government from time to time.

(4) 30 percent posts shall be reserved for women candidates in accordance with the provisions of Madhya Pradesh Civil Services (Special Provision for Appointment of Women's) Rules, 1997 and such reservation shall be horizontal and compartment wise.

(5) Posts shall be reserved for candidates who are disabled persons or for such other classes as may be determined by the State Government from time to time. The reservation shall be horizontal and compartment wise.

Explanation.—For the purpose of sub-rule (4) and (5) “horizontal and compartment-wise reservation” means reservation in each category namely, Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and Unreserved Categories.

(6) There shall be 10% horizontal and compartment wise reservation for ex-serviceman in direct recruitment in Class III posts and 20% reservation for Class IV in direct recruitment.

(7) There shall be 2% horizontal and compartment wise reservation for Orthopedically impaired, two percent for visually impaired and two percent for hearing impaired in accordance with the direction of General Administrative Department.

(8) In filling the vacancies so reserved candidates who are members of the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes shall be considered for appointment in the order in which their names appear in the list referred to in rule 12 irrespective of their relative rank as compared with other candidates.

(9) Candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes considered by the Appointing Authority to be suitable for appointment to the service with due regard to the maintenance of efficiency of administration may be appointed to the vacancies reserved for the candidates of the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes, as the case may be.

(10) If sufficient number of candidates are not available to fill the vacancies reserved for Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes then remaining vacancies shall not be filled by other categories of candidates without prior permission of the Government and these vacancies shall be kept reserved for Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes for next selection.

(11) (a) In such cases, where experience of some period has been prescribed as an essential condition for the posts to be filled in by direct recruitment and it is found in the opinion of the Appointing Authority that there is a possibility, that the candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes, may not be available in sufficient number, the Appointing Authority may relax the condition of experience to the candidates of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes after the consultation with the General Administration Department.

12. List of candidates recommended by selection committee.—(1) The selection committee shall prepare a list arranged in order of merit of the candidates, who have qualified by such standards as determined by the selection committee and the list of candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes, who though not qualified by that standard, but are declared by the selection committee to be suitable for appointment to the service with due regard to the maintenance of efficiency in administration. The list shall also be published for general information.

(2) Subject to the provisions of these rules and of the Madhya Pradesh Civil Service (General Conditions of Service) Rules, 1961 selected candidates shall be considered for appointment to the available vacancies from the list in the order in which their names appear in the select list.

(3) The inclusion of a candidate's name in the list confers no right to appointment unless the appointing Authority is satisfied after such enquiry, as may be considered necessary, that the candidate is suitable in all respects for appointment to the service.

(4) The list shall be valid for a period of one year from the date of issue.

13. Appointment by Promotion.—(1) There shall be constituted a Committee, consisting of the members mentioned in Schedule-IV for making a preliminary selection for promotion of eligible candidates:

Provided that if the nominated members other than the members presiding the departmental promotion committee in respect of the post to be filled up by promotion do not represent the category of Scheduled Castes or Scheduled Tribes then one member belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes category of the same status shall be included in the promotion committee and the number of members of promotion committee shall be extended to that limit.

(2) The Committee shall meet at such intervals as it thinks fit but ordinarily not exceeding one year.

(3) Reservation in promotion and limits on the extent of zone of consideration shall be made in accordance with the provisions of the Madhya Pradesh Civil Services (Reservation in Promotion and limits of extent of zone of consideration) Rules, 1997 and the instructions issued by the General Administration Department from time to time.

14. Conditions of eligibility for promotion.—(1) Subject to the provisions of sub-rule (2), the Committee shall consider the cases or all persons, who on the 1st day of January of that year had completed not less than such number of years of service (whether officiating or substantive) on the post from which promotion is to be made or on any other post or posts declared equivalent thereto by the State Government as specified in column (3) of the Schedule IV and are within the zone of consideration in accordance with the provisions of sub-rule (2):

Provided that the service of released officers of the emergency commission and short service commission after their appointment in the service shall be counted from the date from which they have been deemed to have been appointed in the service in accordance with General Administration Department's Circular No. 22166-1967-1 (3)-67, dated 21st October, 1967:

Provided further that no junior person shall be considered for selection in preference to the persons senior to him only on the basis of completing the prescribed period of service.

15. Preparation of the list of suitable candidates.—(1) The Departmental Promotion Committee shall prepare a list of such persons, who satisfy the conditions prescribed in rule-14 and are held by the Committee to be suitable for promotion to the service in accordance with the provisions of the Madhya Pradesh Public Service (Promotion) Rules, 2002. The list shall be sufficient to cover the anticipated vacancies on account of retirements/promotion during the course of one year from the date of preparation of the select list. A reserve list of the 25% of the number of persons included in the said list shall also be prepared to meet the unforeseen vacancies occurring, during the course of the aforesaid period.

(2) The selection for inclusion in such list shall be based on merit and suitability in all respects with due regard to seniority.

(3) The names of the persons included in the list shall be arranged in order to seniority in the service or posts as specified in column (2) of Schedule IV at the time of preparation of such select list.

Explanation.—A person, whose name is included in a select list but who is not promoted during the validity of the list, shall have no claim to seniority over those person considered in a subsequent selection merely by the fact to his earlier selection.

(4) The list so prepared shall be reviewed and revised every year.

(5) If in the process of selection, review or revision, as the case may be, it is proposed to supersede any member of service, the Committee shall record its reasons for the proposed superseession.

16. **Select List.**—(1) The list as finally approved by the Appointing Authority shall form the select list for promotoin of the members of the service to post specified in column (3) of Schedule IV from column (2) of Schedule-IV.

(2) The select list shall ordinarily be in force for a period of one year, until it is reviewed or revised in accordance with sub-rule (4) of rule 15 but its validity shall not be extended beyond a period of 18 months from the date of its preparation:

Provided that in the event of a grave lapse in the conduct of performance of duties on the part of any person included in the select list, a special review of the select list may be made at the instance of the Appointing Authority, and the committee may, if it thinks fit, remove the name of such person from the select list.

17. **Appointment in Service from the select list.**—(1) Appointments of the persons included in the select list to post beorne on the cadre of the service shall follow the order in which the names of such candidate appear in the select list.

(2) It shall not ordinarily be necessary to consult the Selection Committee before the appointment of a person, whose name is included in the select list unless during the period intervening between the inclusion of his name in the select list and the date of his proposed appointment there occurs any deterioration in his work which, in the opinion of the Appointing Authority is such as to render him unsuitable for appointment in the service.

18. **Probation.**—Every person directly recruited to the service shall be appointed on probation for a period of two years.

19. **Interpretation.**—If any question arises relating to the interpretation of these rules, it shall be referred to the Government whose decision thereon shall be final.

20. **Relaxation.**—Nothing in these rules shall be construed to limit or abridge the powers of the Governor to deal with the case of any person to whom, these rules apply in such manner as may appear to him to be just and equitable:

Provided that the case shall not be dealt-with in any manner less favourable to him than that provided in these rules.

21. **Savings.**—Nothing contained in these rules shall affect reservation, relaxation and other conditions required to be provided for the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes in accordance with the orders issued by the State Government from time to time in this regard.

22. **Repeal.**—All rules corresponding to these rules and enforce immediately before the commencement of these rules are hereby repealed in respect of matters covered by these rules:

Provided that any order made or action taken under the rules so repealed shall be deemed to have been made or taken under the corresponding provisions of these rules.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जी. एस. खैरवार, उपसचिव.

SCHEDULE—I

(See rule 5)

Classification, Scale of Pay and posts included in the service

S. No.	Name of Posts included in the Service	Number of Posts	Classification	Pay Scale+ Grade pay	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Headquarter/State Level Posts					
1.	Daftari	2	Class IV	4440-7440+1400	—
2.	Peon and Farraash	21	-d0-	4440-7440+1300	—
3.	Aadeshika Vaahak	1	-d0-	4440-7440+1300	—
4.	Choukidaar-Cum-Farrash	1	-d0-	4440-7440+1300	—
District Level Posts—					
1.	Peon	50	Class IV	4440-7440+1300	—

SCHEDULE—II

(See rule 6)

Method of recruitment

S. No.	Name of the Post included in the Service	Total Number of Posts	Percentage of the number of posts to be filled in			Remarks
			By direct recruitment	By promotion of the members of service	By temporary transfer of persons of other Services	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Headquarter/State Level Posts						By Promotion from the joint gradation list of Peon/Farrash/Aadeshika Vaahak/Choukidaar
1.	Daftari	02	—	100%	—	
2.	Peon and Farrash	21	100%	—	—	
3.	Aadeshika Vaahak	01	100%	—	—	
4.	Choukidaar-Cum-Farrash	01	100%	—	—	—
District Level Posts						—
1.	Peon	50	100%	—	—	—

SCHEDULE—III

(See rule-8)

S. No.	Name of Post	Minimum Age Limit	Maximum Age Limit	Prescribed Educational Qualifications	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Peon/Chaukidaar and Farraash	18 years	40 years	Class 8th Pass	Must have passed 8th Class — examination from Madhya Pradesh Madhyamik Shiksha Mandal
2.	Aadeshika Vaahak	18 years	40 years	Class 8th Pass	

SCHEDULE—IV

(See rule-13)

Posts to be filled by promotion

S. No.	Name of the post from which promotion is to be made	Name of the post to which promotion is to be made	Minimum period of qualifying service	Members of Departmental Promotion Committee	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Peon/Chaukidaar-cum-Farraash	Daftari	5 years	(1) Director, State Level Employment and Training Centre—Chairman (2) Secretary, Backward Classes Commission —Member (3) Deputy Director/Commissioner Office —Member-Secretary (4) One Nominated Member of Scheduled Caste/ Scheduled Tribe —Member	
2.	Daftari/Peon/Chaukidaar-cum-Farraash (On the basis of joint gradation list with minimum educational qualification required for Assistant Grade-III	Assistant Grade-III	5 years	-do-	